

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक कक्ष पर कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय से आए से ही बिना अर्थ व कि किसी अन्य प्रदर्शन से आए से। सम्बन्धित विषय पर कोई पूर्व से एक न्यूनतम हुआ हो तो पर सम्बन्धित एवं विषयक न्यूनतम शिक्षा वाले विषयों से विद्यार्थी हों।



संख्या : कुलसचिव  
 इच्छा : (0751) 2341806  
 (0751) 2442829  
 फ़ैसल : (0751) 2341765

प्रेषक :  
 कुलसचिव,  
 जीवाजी विश्वविद्यालय,  
 ग्वालियर  
 सम्बन्धित एक-सम्बन्धित/2012/ 5854

दिनांक: 15/01/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्धित गांधी बोकेशुभल महाविद्यालय, गुना (07542-329604) को सत्र 2011-12 एवं 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. जे.ए.क. गौतम, कुलसचिव, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
 (0751-2442603)  
 (2) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।  
 (3) डॉ. बी.एल. चानन, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति को सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घंटाहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्रायिकतः अंशक से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किनेन्स तथा विद्यार्थी सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मग प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय ग्वालियर में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 15 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा कराकर नवीन समिति गठित की जायेगी। इसके 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / सहायक सहायक पदावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवायें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मान्यता महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
 कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आया है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करवाने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलपति के रावि / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
 सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)